न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 304/2016 **दायरा दिनांक : 31.08.2016**

उनवान

1– राजेन्द्र पुत्र जमनालाल जाति मीणा निवासी ग्राम निपानी

2– चतरू पुत्र हजारी जाति मीणा निवासी ग्राम निपानी

3– कोशल्या पत्नि चतरू जाति मीणा निवासी ग्राम निपानी

4– लड्डूबाई पत्नि जमनालाल जाति मीणा निवासी ग्राम निपानी

5– नरेन्द्र पुत्र जमनालाल जाति मीणा निवासी ग्राम निपानी

6– कौशल्याबाई पत्नि रूघनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम निपानी तहसील छबडा जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– चेनाबाई पत्नि शोनाथ उर्फ श्योराम जाति मीणा निवासी ग्राम निपानी तहसील छबडा जिला बारां राज0

2–लक्ष्मीनारायण पुत्र गिरधारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम निपानी तहसील छबडा जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री महेश प्रकाश गोतम अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 07.02.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 56/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 चेनाबाई ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1250/1213 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 1212 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा कुल दो किता की 5 बीघा 12 बिस्वा आराजी ग्राम निपानिया, तहसील छबडा में स्थित है, जो हाल जमाबंदी में श्योराम, लक्ष्मीनारायण पुत्रगण गिरधारी लाल के खाते में दर्ज है । 1/2 हिस्से के खातेदार श्योराम करीब 4–5 वर्ष पहले से लापता है इस कारण वाद श्योराम की पत्नी चेनाबाई की तरफा से पेश किया जा रहा है । खातेदारों का आपसी सहमति से बंटवारा हो रहा है जिसके अनुसार 1/2 भूमि वादी के पति के खाते में आयी है जिस पर वादिया काबिज काश्त है । प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं जो बलपूर्वक वादिया की आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं । अतः दावा वादिया स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादिया के हिस्से की आराजी पर वादिया के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.06.2016 को दावा वादिया स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी इसे कैम्प में रखा गया और किसी भी पक्षकार के हाजिर नहीं होते हुए भी वादिया का दावा डिक्री किया गया । खातेदार के द्वारा वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है । उनका लापता होना बताया गया

है परन्तु इस बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं है । अपीलांट को जवाबदेही का अवसर नहीं दिया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 21.08..2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सी पी सी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । सहखातेदारी की आराजी में सहखातेदारों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । निर्णय विधि विरूद्ध है । अपीलांट को जवाबदेही का अवसर नहीं दिया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसको दिनांक 14.02.2016 को लोक

अदालत में रखा गया । लोक अदालत में कोई उपस्थित नहीं था और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया था । उसी दिन दावा डिक्री किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । इसके अभाव में सी पी सी की पालना करते हुए जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा